अयोध्या मुद्दे पर आख़िर बीजेपी चाहती क्या है

रामदत्त त्रिपाठी

मोदी सरकार पर उसके समर्थकों, विशेषकर विश्व हिन्दू परिषद और संघ परिवार का ज़बरदस्त दबाव है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह अयोध्या के विवादित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्थान पर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाए.

साधु संतों के अलावा स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने खुलकर मांग की है कि मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में क़ानून बनाए अथवा अध्यादेश लाए.

यह दबाव और मांग इसलिए है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान स्वयं मोदी एवं बीजेपी नेताओं ने सरकार बनने पर मंदिर निर्माण का वादा किया था.

अब तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दोनों जगह बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है.

लेकिन मोदी सरकार ने साढ़े चार सालों में न तो पक्षकारों के बीच समझौता कराने की कोशिश की और न सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील को जल्दी निबटाने का प्रयास किया.

आपको ये भी रोचक लगेगा

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर मामले पर सुनवाई
भगवान राम पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान
क्या है जोधपुर में मस्जिद गिराए जाने की हक़ीकत
इंदिरा को आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ी- गडकरी

मंदिर समर्थकों की बैचेनी

अब कार्यकाल समाप्ति की ओर है और दोबारा वापसी की गारंटी नहीं दिख रही, इसलिए मंदिर समर्थकों की बेचैनी समझ में आती है.

लेकिन क़ानून के जानकार जानते हैं कि अदालत में लंबित मुक़दमों के विषय में सरकार किसी एक के पक्ष में क़ानून नहीं बना सकती .

इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख और अन्य मंदिर समर्थकों को सार्वजनिक तौर पर जवाब दिया कि सरकार अदालती प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

हाँ, अदालत का अंतिम निर्णय आने के बाद ज़रूरी क़दम उठा सकती है.

स्वाभाविक था कि इस बयान से मंदिर समर्थकों को निराशा हुई जिसकी प्रतिक्रिया प्रयागराज कुंभ में देखने को मिल रही है.

पिछले चुनाव में मात्र 31 फ़ीसदी वोट से मोदी सरकार बनी थी. वोटों में मामूली गिरावट भी बीजेपी के विपक्ष में बैठने का कारण बन सकती है.

समझा जाता है कि इसीलिए अपने समर्थकों को साधे रखने के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है कि अयोध्या में अधिग्रहित 67 एकड़ ज़मीन में से मूल विवादित ज़मीन से इतर फ़ालतू ज़मीन राम जन्म भूमि न्यास को वापस देने की अनुमति दी जाए.

कहां है ये ज़मीन

मूल विवादित भूमि वह है, जहाँ छह दिसंबर 1992 तक विवादित मस्जिद खड़ी थी. इसका रक़बा एक तिहाई एकड़ से भी कम है जिसे कोर एरिया कहा जाता है.

मस्जिद गिरने के बाद तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने एक क़ानून बनाकर हाईकोर्ट में चल रहे चारों मुक़दमे समाप्त कर दिए थे और अग़ल बग़ल की 67 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर ली थी.

इतनी अधिक ज़मीन इसलिए अधिग्रहित की थी कि जो पक्ष अदालत से कोर एरिया जीते उसे रास्ता, पार्किंग व अन्य तीर्थ यात्री सुविधाएँ बनाने के लिए ज़मीन मिल जाए.

बाक़ी ज़मीन हारे हुए पक्ष को देने की व्यवस्था थी, जिससे हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों को संतुष्ट किया जा सके.

इस 67 एकड़ में वह 42 एकड़ ज़मीन भी शामिल है जो वर्ष 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने एक रुपए सालाना की लीज़ पर राम जन्म भूमि न्यास को दी थी. बाक़ी ज़मीनें कई मंदिरों और व्यक्तियों की थीं.

अयोध्या विवाद में हिंदुओं की जीत बनाम मुसलमानों को इंसाफ़

याद दिला दें कि यह 42 एकड़ ज़मीन इंदिरा गाँधी की इच्छानुसार कांग्रेस की वीर बहादुर सरकार ने मस्जिद के बग़ल में राम कथा पार्क बनवाने के लिए अधिग्रहित की थी.

तत्कालीन सरकार ने संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से राय माँगी थी कि क्या विवादित भूमि पर पहले कोई मंदिर स्थित था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया, साथ ही हाईकोर्ट में चल रहे चारों मुक़दमे जीवित कर दिए, जिससे अपील का मौलिक अधिकार समाप्त न हो.

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1994 में अधिग्रहण क़ानून को वैध ठहराया था. साथ ही यह भी कहा था कि क़ानून के मुताबिक़ ज़मीन का उपयोग यानि मंदिर-मस्जिद रास्ता, पार्किंग और यात्री सुविधाओं के बाद जो फ़ालतू ज़मीन बचे उसे उसके मूल मालिकों को वापस किया जा सकता है.

यानी यह प्रक्रिया विवाद के संपूर्ण समाधान के बाद होगी. अदालत ने तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को कस्टोडियन बना दिया था. इसी व्यवस्था में कमिश्नर फ़ैज़ाबाद उस ज़मीन के रिसीवर हैं.

इससे पहले वर्ष 2002 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए कुछ ज़मीन देने के लिए विश्व हिन्दू परिषद ने आंदोलन किया था.

तब वीएचपी अधिग्रहित क्षेत्र में सांकेतिक शिला पूजन करना चाहती थी. किन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि सम्पूर्ण अधिग्रहित क्षेत्र का कोई हिस्सा विवाद के निबटारे तक किसी को नहीं दिया जा सकता.

तब बीजेपी सरकार ने ही अयोध्या में निषेधाज्ञा लगाकर फ़ोर्स के ज़रिए हज़ारों कार सेवकों को अयोध्या घुसने से रोक दिया था.

राम जन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष राम चंद्र दास परमहंस दिगंबर अखाड़ा के बाहर नहीं निकल पाए थे. उनकी इज़्ज़त रखने के लिए कमिश्नर ने वहीं दो शिलाएँ प्राप्त की थीं, जो कहाँ गईं पता नहीं.

वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज़मीन के तीन पक्षों में बँटवारे का फ़ैसला आने के बाद सभी मुक़दमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई नवगठित संविधान पीठ अगले महीने से करेगी.

वीएचपी का विरोध जारी

वीएचपी विरोधी शंकराचार्य भी मंदिर के लिए अयोध्या कूच की बात कह रहे हैं. वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अलग से मोदी पर हमलावर हैं.

ऐसे में मोदी सरकार ने नई याचिका के ज़रिए फिर से गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है.

लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस याचिका पर तुरंत सुनवाई कर संविधान पीठ का यथास्थिति क़ायम रखने का फ़ैसला बदलेगा.

सवाल यह भी है कि क्या जो लोग मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे ही, जहाँ इस समय तंबू के नीचे राम लला विराजमान हैं, राम मंदिर का गर्भ गृह बनवाने पर अड़े थे, वे दूर हटकर मंदिर निर्माण से संतुष्ट होंगे.

ऐसा था तो वर्ष 1989 में ही मंदिर बन जाता जब राजीव गांधी ने विवादित मस्जिद से 192 फुट दूर शिलान्यास कराया था.

किन्तु संघ प्रमुख ने यह कहकर वीटो मार दिया था कि लक्ष्य मंदिर नहीं, केंद्र में सरकार बनाना है. इसीलिए हमेशा ज़ोर मस्जिद के नीचे मंदिर निर्माण पर रहा ताकि कोई समझौता न हो.

बीजेपी ने 1989 में पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर राम मंदिर का खुलकर समर्थन किया था. तभी से वह राम मंदिर के नाम पर वोट माँगती आयी है.

तब वह कांग्रेस व दूसरी सरकारों से कहती थी कि क़ानून बनाकर विवादित भूमि मंदिर बनाने को दे दी जाए.

वही बात अब बीजेपी सरकार के गले की फाँस बन गई है.

यानी विश्व हिंदू परिषद का राम जन्म भूमि न्यास सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता. शंकराचार्य भी वीएचपी के साथ नहीं हैं. वीएचपी का न्यास बीजेपी सरकार की मदद से निर्मोही अखाड़ा को बाहर करना चाहता है.

दूसरा यह कि केंद्र सरकार मूल मुक़दमों में पक्षकार नहीं है. बल्कि उसकी भूमिका एक निष्पक्ष पहरेदार और अदालत का फ़ैसला लागू करवाने की है. ऐसे में क्या सरकार किसी एक समुदाय के पक्ष में खड़ी हो सकती है? क्या यह भारतीय संविधान के अनुकूल है?

दरअसल यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है जो भावी भारत की दिशा तय करेगा.

कोबरापोस्ट ने किया 31 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा, कहा- बीजेपी को चंदे में मिले करोड़ों रुपये

जनचौक ब्यूरो

नई दिल्ली। कोबरापोस्ट पोर्टल ने 31 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया है। उसका दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। उसका कहना है कि इस घोटाले का सूत्रधार निजी क्षेत्र की जानी मानी कंपनी दीवान हाउसिंह फाइनेंस कोआपरेशन लिमिटेड यानि डीएचएएल है। पोर्टल के मुताबिक इस कंपनी ने कई शैल कंपनियों को करोड़ों रुपए का लोन दिया और फिर वही रुपया घूम फिर कर उन कंपनियों के पास आ गया जिनके मालिक डीएचएफएल के प्रोमोटर हैं। इस तरह 31 हजार करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी डीएचएफएल ने खुल्लम खुल्ला की है। इसके जरिए डीएचएफएल के मालिकों ने देश और विदेश में बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर और असेट्स खरीदी हैं। ये असेट्स भारत के अलावा इंग्लैंड, दुबई, श्रीलंका और मॉरीशस में खरीदी गई है। घोटाले का खुलासा पोर्टल के एडिटर अनिरुद्ध बहल ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में की।

कंपनी के मालिकों ने गैर कानूनी तरीके से विदेशी कंपनियों के अपने शेयर भी बेचे। इस तहकीकात में सैकड़ों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। कोबरापोस्ट के मुताबिक इसी तहकीकात में ये बात सामने आयी है कि कंपनी के मालिकों ने अपनी सहायक और शैल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है।

अनिरुद्ध बहल के मुताबिक डीएचएफएल के मामले में एक बात और खुल के सामने आ रही है कि इन संदिग्ध कंपनियों को डीएचएफएल के मुख्य हिस्सेदारों ने अपनी खुद की प्रोमोटर कंपनियों, उनकी सहयोगी कंपनियों और अन्य शैल कंपनियों के जरिए बनाया है। कपिल वाधवन, अरुणा वाधवन और धीरज वाधवन डीएचएफएल के मुख्य साझेदार हैं। इस पूरे प्रकरण में चंदे के तौर बीजेपी को तकरीबन 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दि एनाटोमी आफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम के नाम से किए गए इस खुलासे के मौके पर कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। जिनमें पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण और पत्रकार प्रणंजय गुहा ठाकुरता शामिल थे।

कोबरापोस्ट के मुताबिक इस घोटाले को अंजाम देने के लिए डीएचएफएल के मालिकों ने दर्जनों शैल कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों को समूहों में बांटा गया। दिलचस्प बात ये है कि इन कंपनियों में से कुछ तो एक ही पते से काम कर रही हैं और उन्हें चला भी निदेशकों का एक ही ग्रुप रहा है। घोटाले को छुपाने के लिए इन कंपनियों का ऑडिट ऑडिटरों के एक ही समूह से कराया गया। इन कंपनियों को बिना किसी सेक्योरिटी के हजारों करोड़ रुपए की धनराशि कर्ज में दी गई। इस धन के जरिए देश और विदेश में निजी संपत्ति अर्जित की गई। स्लम डेवलपमेंट के नाम पर इन शैल कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की राशि लोन के तौर पर दी गई। लेकिन उसके लिए जरूरी पड़ताल की प्रक्रिया की अनदेखी की गई। इसके अलावा बंधक या डैब्ट इक्विटी के प्रावधानों को भी दरकिनार कर दिया गया।

लोन की धनराशि एक मुश्त सौंप दी गई जो कि स्थापित नियमों के विरुद्ध है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोन की धनराशि प्रोजेक्ट में हुए कार्य की प्रगति को देखते हुए दी जाती है।

अधिकांश शैल कंपनियों ने अपने कर्जदाता डीएचएफएल का नाम और उससे मिले कर्ज की जानकारी को अपने वित्तीय ब्यौरों (financial statement) में नहीं दर्शाया। जोकि सरासर कानून के विरुद्ध है। इसके अलावा डीएचएफएल ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की कई कंपनियों को 1160 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा था। अब इसका राजनीतिक दलों से कितना संबंध है और उनकी और उनके नेताओं की इसमें कितनी भागीदारी है। ये जांच का विषय हो जाता है।

कपिल वाधवन और धीरज वाधवन डीएचएफएल की फाइनेंस कमेटी के मेजोरिटी मेम्बर हैं। यह कमेटी 200 करोड़ या इससे ऊपर का लोन किसी भी कंपनी को दे सकती है। अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने उन शैल कंपनियों को लोन दिए जिनसे इनके निजी हित जुड़े थे। कंपनी के मालिकों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए करोडों रुपए की हेरा फेरी भी की है। कपिल वाधवन की इंग्लैंड की कंपनी ने जोपा ग्रुप में निवेश किया। इसी जोपा ग्रुप की सहायक कंपनी ने इंग्लैंड में बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। इस अवैध तरीके से हड़पी धनराशि से कंपनी के मालिकों ने विदेश में बकायदा श्रीलंका प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम वायाम्बा भी खरीदी है।

कंपनी के मालिकों ने गैर कानूनी तरीके से विदेशी कंपनियों के अपने शेयर भी बेचे। इस तहकीकत में सैकड़ों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। कोबरापोस्ट के मुताबिक इसी तहकीकात में ये बात सामने आयी है कि कंपनी के मालिकों ने अपनी सहायक और शैल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है।

कोबरापोस्ट का कहना है कि ये सभी कारगुजारियां देश के सिविल और क्रिमिनल कानून का सरासर उल्लंघन हैं। इसके अलावा कंपनी ने खुद की ऋण नीति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी दोनों को ताक पर रखकर ये सारे काम किए हैं। जहां तक कानून की बात है ये सारी गड़बड़ियाँ सेबी के नियमों, नेशनल हाउसिंग बोर्ड के दिशा निर्देशों, कंपनी एक्ट की कई धाराओं, इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं, आईपीसी की धाराओं और काले धन के शोधन से संबन्धित पीएमएल एक्ट का खुला उल्लंघन है।

सबसे हैरानी की बात ये है कि इतने बड़े घोटाले पर भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी सहित फाइनेन्स मिनिस्ट्री की किसी भी इकाई की नजर नहीं पड़ी है जिनका दायित्व ऐसी अनियमितता को रोकना है। इसके अलावा बैंक, आडिटिंग एजेन्सीज और इनकम टैक्स विभाग ने भी इस सिलसिले में अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है।

उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक RKW Developers Private Limited, Skill Realtors Private Limited. Darshan Developers Private Limited ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2016-17 के बीच सत्तारूढ़ बीजेपी को कुल जमा 19.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इन तीनों कंपनियों के मालिकान कपिल वाधवन और धीरज वाधवन हैं। एक और बात यहां गौर करने लायक ये है कि ये चंदे संबंधित कानून companies act 2013 की धारा 182 के प्रावधानों को ताक पर रखकर दिए गए हैं। कानून के अनुसार चंदा देने से पहले किसी भी कंपनी को लगातार तीन वित्तीय वर्ष में लाभ की स्थिति में होना जरूरी है। कोई भी कंपनी इन तीन वित्तीय वर्षों में अर्जित अपने कुल लाभ का 7.5 प्रतिशत तक की धनराशि ही चंदे में दे सकती है। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दंड और छह महीने के कारावास की सजा निर्धारित है।

हमारी तहकीकात से यह स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी कंपनी कानूनन चंदा देने की स्थिति में कतई नहीं थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक RKW Developers ने वर्ष 2014-15 में बीजेपी को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया था जबकि 2012-13 में कंपनी को 24,77,828 रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन मुंबई स्थित इस रियल इस्टेट कंपनी ने अपनी बैलेन्स शीट में इस चंदे को दिखाने की जरूरत नहीं समझी। इसी तरह Skill Realtors कंपनी ने बीजेपी को साल 2014-15 में 2 करोड़ का चंदा दिया था। मगर कंपनी ने अपनी बैलेन्स शीट में इस धनराशि को नहीं दिखाया। वहीं बीजेपी ने भी इलेक्शन कमीशन में इन दोनों कंपनियों के PAN का विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा बीजेपी को साल 2016-17 में 7.5 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली Darshan Developers 2016-17 में 7,69,68,968 रुपए के घाटे में थी।

आपको बताते चले कि डीएचएफएल एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी कुल जमा पूंजी या माली हैसियत साल 2017-18 के वित्तीय ब्योरे के मुताबिक कुल 8795 करोड़ रुपया है। ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है कि इतनी छोटी जमा पूंजी वाली कंपनी ने अलग-अलग बैंको और वित्तीय संस्थानों से 98718 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल कर लिया। यह कर्ज अलग-अलग तरीके से हासिल किया गया है। इस कर्ज की धनराशि से डीएचएफएल ने 84982 करोड़ रुपए की धनराशि कर्ज के रूप में दे दी है। डीएचएफएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कुल मिलाकर 36 बैंकों से उपरोक्त धनराशि कर्ज में जुटाई थी। इन बैंको में 32 सरकारी और निजी के अलावा 6 विदेशी बैंक शामिल हैं।

एक और बात हमारी तहकीकात में सामने आई है कि जिन शैल कंपनियों को महाराष्ट्र में स्लम पुनर्वास के नाम पर कर्ज दिया गया था उनका नाम वहां की स्लम पुनर्वास प्राधिकरण की वेबसाइट में कहीं नजर नहीं आता है। 45 कंपनियों को डीएचएफएल ने 14282 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिये हैं। गौरतलब बात ये है कि इन कंपनियों के तार वाधवन ग्रुप और सहाना ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सहाना ग्रुप के निदेशक जितेंद्र जैन की वित्त मंत्रालय की आर्थिक अपराध शाखा कुछ आपराधिक मामलों में जांच कर रही है। जैन अभी न्यायिक हिरासत में हैं। सहाना ग्रुप के एक और नामी गिरामी शेयर धारक डालवी शिवराम गोपाल हैं। गोपाल शिव सेना के पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए डीएचएफएल कंपनी के मालिकों ने अपने लिए करीब 1 हजार करोड़ रुपए जुटा लिए। शैल कंपनियों को दिये गए ऋण के पैसे से डीएचएफएल के मालिकान ने काफी असेट्स विदेशों में अपने लिए जोड़ लिए हैं।

इसके अलावा कोबरापोस्ट को इस घोटाले में वाधवन परिवार के सूत्र कई देशों से जुड़ते दिखाई दिए हैं। ये देश हैं- इंग्लैंड, दुबई, मॉरीशस और श्रीलंका। कोबरापोस्ट की तहकीकत से जो जानकारी सामने आई है वो इस घोटाले का एक हिस्सा भर है। अगर इस घोटाले की सही ढंग से जांच की जाए तो नीरव मोदी और शारदा जैसे घोटाले इसके सामने बौने साबित हो सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले इस बड़े घोटाले की जांच बेहद जरूरी है ताकि इसमें लिप्त लोगों को सजा मिल सके और सार्वजनिक धन की उगाही उनसे की जा सके।

कोबरापोस्ट के एडिटर अनिरुद्ध बहल का कहना है कि मामले से संबन्धित प्रश्नावली डीएचएफएल और संबन्धित कंपनियों को ईमेल के जरिए भेजी गयी थी। इस संबंध में उन्हें डीएचएफएल की तरफ से जवाब आया जिसमें उनके सवालों का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया गया है।